6/10/22 आज पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13/10/22 को पेश हो।

13-10-22 आज पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 31-10-22 को पेश हो।

31-10-22 आज पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7-11-22 को पेश हो।

7.11.22 आज पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त ~~पर~~ है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14.11.22 को पेश हो।

14.11.22 आज पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त ~~पर~~ है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24.11.22 को पेश हो।

24.11.22 अधिवक्तागण उपस्थित, अधिवक्तागण द्वारा प्रार्थना बहस सुनी गयी पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 28/11/22 को पेश हो।

Bijku

8.12.22 निर्णय दिनांक 28.11.22 की पालना में प्रार्थी ... उभय अधिवक्ता स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जाने पर पर्चा डिक्री जारी की जाती है। पत्रावली [illegible] हो, पत्रावली दायरा पंजिका के अनु से कम की जाकर निर्णय की प्रति में [illegible] दाखिल हो।

Bijku

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – श्री जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर , प्रशिक्षु आई.ए.एस.

वादपत्र संख्या 44 / 2020

अन्तर्गत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. गौरव पुत्र श्री अमीर चन्द जाति अरोड़ा निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर —वादी

बनाम

1. अमीर चन्द पुत्र श्री किशना राम जाति अरोड़ा निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. विजेता पुत्री श्री अमीर चन्द पत्नी श्री बृजपाल सिंह जाति अरोड़ा निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल एस ए एस नगर, मोहाली।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर। —प्रतिवादीगण

उपस्थित–	श्री संजय जनवेजा	(अधिवक्ता वादी)
	श्री रोबिन गुम्बर	(प्रति. संख्या 1 ता 2)
	पैरोकार राज	(प्रतिवादी–3)

दिनांक 28 नवम्बर, 2022

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार कृषि भूमि वाके चक 6 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 5/26 का मुरब्बा नम्बर 3 व 12 की कुल 2.212 है0 नहरी भूमि जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 अमीरचन्द के नाम से 369/1106 हिस्सा, वादी गौरव के नाम से 737/2212 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 विजेता के नाम से 737/2212 हिस्सा दर्ज कागजात माल है, इसी चक के खाता संख्या 116/17 का मुरब्बा नम्बर 12 की 0.759. है0 भूमि वादी के नाम से दर्ज कागजात माल है तथा इसी चक के खाता संख्या 17/12 का मुरब्बा नम्बर 12 की 0.759 है0 भूमि प्रतिवादिया संख्या 2 विजेता के नाम से दर्ज कागजात माल है। उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादिया संख्या 2 का जन्म से हक निहित है। इसलिए वाद–विवाद से बचने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 ने काफी समय पूर्व अपनी स्वेच्छा से उक्त वर्णित भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 में बंटवांरा कर दिया था तथा घरू मौखिक बंटवारा के अनुसार वादी एवं प्रतिवादिया संख्या 2 को भूमि निम्न प्रकार से बांटकर दी हुई है। (1) वादी संख्या 1 गौरव पुत्र श्री अमीर चन्द जाति अरोड़ा सा0 देह खातेदार का हिस्साः– वाके चक 6 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 5/26 का मुरब्बा नम्बर 12 की 0.632 हैक्टेयर कृषि भूमि, इसी चक के खाता संख्या 116/17 का मुरब्बा नम्बर 12 की कुल 0.759 है0 कृषि भूमि व इसी चक के खाता संख्या 17/12 का मुरब्बा नम्बर 12 की 0.759 है0 कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 2.150 है0 कृषि भूमि। (2) विजेता पुत्री श्री अमीर चन्द पत्नी श्री बृजपाल सिंह जाति अरोड़ा सा0 देह खातेदार का हिस्सा वाके चक 6 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 5/26 का मुरब्बा नम्बर 3 की 1.580 हैक्टेयर कृषि भूमि। वादी एवं प्रतिवादीगण घरू बंटवारा के अनुसार पिछले काफी समय से अपने अपने हिस्सा पर काबिज चले आ रहें हैं तथा काश्त कर रहें है तथा मौका पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 की फसले खड़ी है। वादी ने भारी मेहनत करके व काफी रूपया खर्च करके उक्त भूमि में सुधार कार्य करवाए हैं तथा भूमि को समतल करवाया है, वर्तमान में उक्त भूमि बहुत उपजाउ बन चुकी है। वादी अग्रणी काश्तकार हैं तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहतें हैं तथा आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग करके, फव्वारा, ड्रिप व डिग्गी आदि की सुविधा प्राप्त करके, बागवानी आदि करके अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करना चाहता हैं, मगर राजस्व रिकार्ड में भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज होने रहने से वह सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं तथा मामला लगान अदायगी पानी बारी के समय आदि को लेकर भी हमे ाा विवाद बना रहता है, इसलिए वादी उक्त वर्णित घरू बंटवारानुसार बंटवारा करवाकर राजस्व रिकार्ड में किलावाईज दर्ज करवाने व अलग खाता कायम करवाने का अधिकारी है। वादी द्वारा प्रतिवादी को उक्त भूमि घरू बंटवारानुसार व

कब्जानुसार करवाने के लिए कई बार आग्रह किया है, पहले तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, मगर उन्होने दिनांक 01.05.2022 को उसने सहमति से खाता विभाजन करने से साफ इन्कार कर दिया, यही वाद कारण है। इस प्रकार वादी द्वारा भूमि, जो वाद पत्र में वर्णित है में से वादी को उसके हिस्सा अनुसार खातेदार घोषित किया जाने व पृथक से लगान कायम करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया। वाद पत्र के तथ्यों के समर्थन में चक 6 वाई पटवार हल्का 03 वाई भू0 अ0 नि0 क्षेत्र कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्बत 2070–2073 से (खाता संख्या 5/26, 166/17, 17/12 व नामान्तरण संख्या 773 की प्रमाणित प्रतियां संलग्न कर प्रस्तुत की गई।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं उपस्थित, प्रतिवादिया संख्या 2 जरिये मुखत्यारे आम श्री अमीर चन्द खत्री उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 3 राज्य पक्ष की ओर से राज्यप्रतिनिधि उपस्थित। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा उपस्थित आकर राजीनामा दिनांक 14.06.22 प्रस्तुत किया। वादी की शिनाख्त अधिवक्ता श्री संजय जलवेजा के द्वारा तथा प्रतिवादीगण की शिनाख्त अधिवक्ता अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर के द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त वादी एवं प्रतिवादीगण के पहचान के दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न कर प्रस्तुत की गई। अतः राजीनामा प्रमाणित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 3 राज्य पक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब वाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 14.06.22 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए प्रस्तुत बहस का मनन किया गया। ऐसी स्थिति में, वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में चक 6 वाई पटवार हल्का 3 वाई भू. अभि. निरीक्षक क्षेत्र कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी संवत् खाता संख्या 5/26, 166/17, 17/12 व नामान्तरण संख्या 773 की प्रमाणित प्रतियां के आधार पर एवम् पारिवारिक बंटवारा/राजीनामा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण उक्त संयुक्त खाता की भूमि का बंटवारा करवाने के अधिकारी है।

आदेश

अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 14.06.2022 के अनुसार वादी संख्या 1 गौरव पुत्र श्री अमीर चन्द जाति अरोड़ा सा0 देह खातेदार को वाके चक 6 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 5/26 का मुरब्बा नम्बर 12 की 0.632 हैक्टेयर कृषि भूमि, इसी चक के खाता संख्या 116/17 का मुरब्बा नम्बर 12 की कुल 0.759 है0 कृषि भूमि व इसी चक के खाता संख्या 17/12 का मुरब्बा नम्बर 12 की 0.759 है0 कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 2.150 है0 कृषि भूमि। प्रतिवादियां संख्या 2 विजेंता पुत्री श्री अमीर चन्द पत्नी श्री बृजपाल सिंह जाति अरोड़ा सा0 देह खातेदार को वाके चक 6 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 5/26 का मुरब्बा नम्बर 03 की 1.580 हैक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी तथा उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग–अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी। जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 28 नवम्बर 2022 को जारी किया गया।

जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर
(प्रशिक्षु आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

डिक्री
(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर , प्रशिक्षु आई.ए.एस.

वादपत्र संख्या 44 / 2020
अन्तर्गत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. गौरव पुत्र श्री अमीर चन्द जाति अरोड़ा निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर

बनाम –वादी

1. अमीर चन्द पुत्र श्री किशना राम जाति अरोड़ा निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. विजेता पुत्री श्री अमीर चन्द पत्नी श्री बृजपाल सिंह जाति अरोड़ा निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल एस ए एस नगर, मोहाली।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित–	श्री संजय जनवेजा	(अधिवक्ता वादी)
	श्री रोबिन गुम्बर	(प्रति. संख्या 1 ता 2)
	पैरोकार राज	(प्रतिवादी–3)

दिनांक 08 दिसम्बर, 2022

वादपत्र संख्या 44 / 2020
अन्तर्गत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर पैरोकार राज प्रतिवादी–7 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

वादी संख्या 1 गौरव पुत्र श्री अमीर चन्द जाति अरोड़ा सा0 देह खातेदार को वाके चक 6 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 5 / 26 का मुरब्बा नम्बर 12 की 0.632 हैक्टेयर कृषि भूमि, इसी चक के खाता संख्या 116 / 17 का मुरब्बा नम्बर 12 की कुल 0.759 है0 कृषि भूमि व इसी चक के खाता संख्या 17 / 12 का मुरब्बा नम्बर 12 की 0.759 है0 कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 2.150 है0 कृषि भूमि। प्रतिवादिया संख्या 2 विजेता पुत्री श्री अमीर चन्द पत्नी श्री बृजपाल सिंह जाति अरोड़ा सा0 देह खातेदार को वाके चक 6 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 5 / 26 का मुरब्बा नम्बर 03 की 1.580 हैक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। अतः डिक्री जारी की जाती है।

रूपये ...शून्य ....वास्ते...शून्य. ....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज..शून्य..... दर वार्षिक ..शून्य .....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 को जारी की गयी.

जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर
(प्रशिक्षु आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

कार्यवाहक सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**00.00**	**कुल**	**00.00**

जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर
(प्रशिक्षु आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी ... नायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर